



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938

No. 06]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जनवरी, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ]
(तीसरा संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर. ओ./जी.एन./2016-17/025.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, विनियम 26 में, -
 - i. शीर्षक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -
"कर्मचारियों [जिनमें ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सन्स), निदेशक (डायरेक्टर्स) और संप्रवर्तक (प्रोमोटर्स) शामिल हैं] के संबंध में बाध्यताएँ"।
 - ii. उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(6) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी का कोई भी कर्मचारी [जिसमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (की मैनेजेरियल पर्सोनेल) या निदेशक (डायरेक्टर) या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) शामिल हैं] अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी शेयरधारक या

किसी अन्य पर-व्यक्ति (थर्ड पार्टी) के साथ ऐसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए जाने वाले लेन-देन (डीलिंग्स) के संबंध में प्रतिकर (कॉम्पन्सेशन) या मुनाफे (लाभ) के बँटवारे की बाबत तब तक कोई करार (एग्रीमेंट) नहीं करेगा, जब तक कि निदेशक बोर्ड (निदेशक मंडल) से और सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) से (साधारण संकल्प के माध्यम से) इसके लिए पहले से अनुमोदन प्राप्त न कर लिया जाए :

परंतु यह कि इस उप-विनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान किया गया ऐसा करार, यदि कोई हो (चाहे वह अस्तित्व में हो या समाप्त हो गया हो), सार्वजनिक प्रसार हेतु, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस उप-विनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को जो करार अस्तित्व में हो (यदि कोई हो), उसे बोर्ड की आगामी बैठक में निदेशक बोर्ड (निदेशक मंडल) के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा :

परंतु यह और कि यदि निदेशक बोर्ड (निदेशक मंडल) ऐसे करार को अनुमोदन प्रदान कर देता है, तो उसे आगामी साधारण बैठक में सार्वजनिक शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन (साधारण संकल्प के माध्यम से) के लिए रखा जाएगा :

परंतु यह और कि करार के अधीन आने वाले लेन-देन (संव्यवहार/ ट्रांजेक्शन्स) में शामिल सभी हितबद्ध व्यक्ति साधारण बैठक में होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, 'हितबद्ध व्यक्ति' (इन्ट्रस्टिड पर्सन) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी में मताधिकार रखता हो और जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा अथवा ऐसी सूचीबद्ध एंटीटी के किसी कर्मचारी या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या निदेशक या संप्रवर्तक द्वारा किसी शेयरधारक या किसी अन्य पर-व्यक्ति के साथ, ऐसी सूचीबद्ध एंटीटी की प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिकर (कॉम्पन्सेशन) या मुनाफे (लाभ) के बँटवारे की बाबत किए गए करार या किए जाने वाले प्रस्तावित करार में, किसी भी प्रकार से (चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः) हितबद्ध हो।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./363/16]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - (क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - (ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - (ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd January, 2017

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/025.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India hereby makes

the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:—

1. These regulations shall be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in regulation 26,-
 - i. the title shall be substituted with the following, namely-

"Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters".

- ii. after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(6) No employee including key managerial personnel or director or promoter of a listed entity shall enter into any agreement for himself or on behalf of any other person, with any shareholder or any other third party with regard to compensation or profit sharing in connection with dealings in the securities of such listed entity, unless prior approval for the same has been obtained from the Board of Directors as well as public shareholders by way of an ordinary resolution:

Provided that such agreement, if any, whether subsisting or expired, entered during the preceding three years from the date of coming into force of this sub-regulation, shall be disclosed to the stock exchanges for public dissemination:

Provided further that subsisting agreement, if any, as on the date of coming into force of this sub-regulation shall be placed for approval before the Board of Directors in the forthcoming Board meeting:

Provided further that if the Board of Directors approve such agreement, the same shall be placed before the public shareholders for approval by way of an ordinary resolution in the forthcoming general meeting:

Provided further that all interested persons involved in the transaction covered under the agreement shall abstain from voting in the general meeting.

Explanation - For the purposes of this sub-regulation, ‘interested person’ shall mean any person holding voting rights in the listed entity and who is in any manner, whether directly or indirectly, interested in an agreement or proposed agreement, entered into or to be entered into by such a person or by any employee or key managerial personnel or director or promoter of such listed entity with any shareholder or any other third party with respect to compensation or profit sharing in connection with the securities of such listed entity.”

U.K. SINHA, Chairman
[ADVT III/4/Exty./363/16]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - (a) December 22, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - (b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/001.
 - (c) July 08, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.